

To
The District Judge,
Ramabai Nagar
(Kampur Dehat).

Request - 96

164

No. 15807 / IV - 2910 / Admin (A) / Dated 09-10-2012

Subject :- Information about sale and purchase
of Revolver, as submitted by Sri. Ramesh
Kumar Yadav, Additional Chief Judicial
Magistrate, Ramabai Nagar.

Sir,

In reference to your eudt. no. 1060 / Xr
dated 13.09.2012 on the above subject, I have
to say that Sri. Ramesh Kumar Yadav, Additional
Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar
may kindly be asked to reply specifically
on the following points :-

D.R. (M)

May June?

Dr. Jaiswal

25.09.12

Dr. Jaiswal

25.9.12

Dr. Jaiswal

25-9-12
AR

1. As to why he has sold his old Revolver
(a movable property)
to a private person without obtaining
prior permission of this Court as prescribed
in Rule 24 (2) of U.P. Government Servant's
conduct Rules 1956?
2. As to why he has purchased a new
Revolver without obtaining prior permission
of this Court in the light of this Court's
Circular letter no. 11 / IV - 16 / Admin (A)
dated 12.04.2010?

Sri. Yadav may also be asked to
furnish attested and complete copy of
his bank accounts showing credit of the
amount of sale proceed of his old

P.T.O.

Revolver and showing debit of amount of
payment made against purchase of new
Revolver, so that further necessary
action may be taken in the matter.

Yours faithfully
Mahavendra
S. X. 12

Dy. Registrar

Request 96

Serial
18-9-12

Encl-(12)

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् महरानीदीन
माननीय उप-निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या
12517/IV-2910/एडमिन-ए, दिनांकित,
इलाहाबाद 22-8-2012 के सन्दर्भ में :-

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में आहूत आख्या माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या 25/ एडमिन (ए) दिनांकित 13 जुलाई, 1998 के प्रकाश में निम्नवत है:-

कम संख्या-1 नियुक्ति की तिथि 24-3-2001

कम संख्या-2 वर्तमान सकल मासिक वेतन एवं प्राप्त मासिक वेतन क्रमशः 77621, व 66221

कम संख्या-3 रिवाल्वर संख्या ए.0900ए, 32 बोर कय करने की तिथि 30-03-2012, कीमत मु01,14,912 रु.।

कम संख्या-4 माननीय उच्च न्यायालय से रिवाल्वर कय करने हेतु अग्रिम ऋण के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

कम संख्या-5 किसी बैंक या किसी संस्था से रिवाल्वर कय करने हेतु ऋण नहीं लिया गया है।

कम संख्या-6 वाहन कय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।

कम संख्या-7 भूमि कय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।

18-9-12

14655

IV/2910

158

3/21/12

22-8-12

Request-96

3165
S. A. Khan

DRM
17-09-12

S. A. Khan
24.09.12

Request-96

कम संख्या-8 नाम विक्रेता लघु आयुध निर्माणी कानपुर ।
कम संख्या-9 जी हॉ।

कम संख्या-10 जी नहीं, विक्रेता से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। विक्रेता का कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही पूर्व में कोई वाद विक्रेता के पक्ष में मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।

कम संख्या-11 अपने पूर्वधारित शस्त्र संख्या सी-5856, 32 बोर का विक्रय करने से प्राप्त 80,000 रुपये की धनराशि तथा शेष धनराशि अपने निजी बचत खाता से आहरित करके बैंक ड्राफ्ट जमा करके क्रय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शस्त्र संख्या सी. 5856 एवं ए 0900ए के क्रय एवं विक्रय के सन्दर्भ में श्रीमान् जी द्वारा पूर्व में पत्रांक सं.7534/IV-2910/एडमिन (ए) दिनांकित 16-05-12 के आधार पर आहूत आख्या के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण दिनांक 05-08-2012 को प्रेषित किया गया है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या 2540, दिनांक 2 नवम्बर, 2011 द्वारा वैध शस्त्रधारी के पक्ष में शस्त्र संख्या सी 5856, 32बोर का विक्रय करके नवीन शस्त्र क्रय करने हेतु प्राप्त अनुज्ञप्ति के आधार पर उक्त शस्त्र श्री महेताब आलम निवासी सौदाबाद थाना हंडिया जिला इलाहाबाद के पक्ष में 80,000 रुपये के चैक के माध्यम से (वर्तमान मूल्य 86,000 रुपये) प्राप्त करके दिनांक 09.11.2011 को विक्रय किया है। उक्त शस्त्र के विक्रेता श्री महेताब आलम का कोई मुकदमा मेरे द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, न ही उसका कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन ही है।

शेष पेज संख्या-3 पर

श्रीमान जी की सेवा में उपरोक्तानुसार सुसंगत अभिलेखों के साथ आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

दिनांक 13.09.12

(रमेश कुमार यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, कानपुर देहात।

संलग्नक

- 1-श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11 की छाया प्रति।
- 2-प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.11, 07.04.12 एवं 5.7.12 की छाया प्रति।
- 3-शस्त्र अनुज्ञप्ति के कानपुर नगर में पंजीकृत हेतु जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11 की छाया प्रति।
- 4-शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।
- 5-विक्रय पत्र की छाया प्रति।
- 6-चेक की छाया प्रति
- 7-लघु आयुध निर्माणी कानपुर को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की छाया प्रति।
- 8-ड्राफ्ट की छाया प्रति।

RAMABAI NAGAR (KANPUR DEHAT) JUDGESHIP, KANPUR.

No. 1060/IV. Dated : 13-9-2012.

Forwarded to Sri Maharajid, Deputy Registrar,
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad for
necessary action.

District Judge,
Ramabai Nagar.

Request-96

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट

पत्रांक-2547/आयुध सहायक

दिनांक

नवम्बर, 2, 2011

आदेश

श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0-कर्वी/2001 शस्त्र एन0पी0बोर रिवांत्वर/पिस्टल संख्या-सी-5856-32बोर के धारक है, प्रार्थी अपने उक्त शस्त्र एन0पी0बोर रिवांत्वर संख्या-सी-5856-32बोर को किसी वैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता की दुकान में विक्रय कर नया शस्त्र क्रय करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की है।

अतः श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद जो तत्कालीन सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट के लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0/2001 में अच्छादित शस्त्र रिवांत्वर संख्या-सी-5856-32बोर को वैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता को विक्रय कर नया शस्त्र तीन माह के अन्दर क्रय कर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

✓ प्रतिलिपि श्री रमेश कुमार यादव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमावाई नगर(उ0प्र0) को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।



Request-96

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1 रमाबाई नगर।

सेवा में,

श्रीमान महरानीदीन
उपनिबन्धक,
माजनीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
रमाबाई नगर।

विषय:

पत्रांक संख्या-7534/1 -2910/ एडमिन (ए) दिनांकित
इलाहाबाद 16.05.12 के संदर्भ में :-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सम्मान पूर्वक निवेदन है कि मैंने श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा निर्गत सशत्र अनुज्ञप्ति संख्या-220/ सी0 एस/02001 कर्वी चित्रकूट से आच्छादित रिवाल्वर संख्या-सी5856एन पी32 बोर कय किया था जो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। मेरी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति श्रीमान जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत किया गया जो शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 983/ जी0 एस/2011/याना नबावगंज कानपुर नगर के रूप में है। तदनुसार मेरी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीन नहीं है।

शस्त्र का कय व विकय बिना जिलाधिकारी की अनुमति के संभव नहीं है। अतः श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या-2540 दिनांकित 02.11.11 के आधार पर उपरोक्त शस्त्र को विकय करके नवीन शस्त्र कय करने की आप्त अनुमति के उपरान्त उपरोक्त शस्त्र विकय करके उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति के आधार पर शासकीय संस्था लघु आयुध निर्माणी कानपुर से नवीन शस्त्र कय करने के उपरान्त मैंने माननीय उच्च न्यायालय को समस्त सुसंगत अभिलेखों एवं विवरणों के साथ तत्काल संसूचित किया है जिसकी छाया प्रतियों श्रीमान जी के अवलोकनार्थ संलग्न आवेदन है। मैंने प्रश्नगत शस्त्र का कय एवं विकय करने

शेष पेज संख्या-2 पर

Request - 96

2

में जानबूझकर किसी निचम या व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा भ्रमवश कोई त्रुटि कारित हो गयी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों के प्रकाश में मेरे प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

सादर

Ramesh Kumar Yadav
05.07.12

दिनांक 05-07.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, रामबाई नगर।

संलग्नक

- 1-श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11की छाया प्रति।
- 2-प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.11 एवं 07.04.12 की छाया प्रति।
- 3-शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।
- 4-विकय पत्र की छाया प्रति।
- 5-चेक की छाया प्रति।
- 6-चालान की छाया प्रति।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship

No. 758/12 dated. 05-7-2012.

Forwarded to *Sd/- M. K. ...* by Registrar,

Honorable High Court, Allahabad.

for necessary action.

District Judge
Ramabai Nagar.

05-7-12.

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
कानपुर देहात।

Request-96

सेवा मे,

महा-निबन्धक महोदय,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
रमाबाई नगर।

विषय: शस्त्र कय किए जाने के सन्दर्भ में :-
महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि मैंने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 220/जी०एस.कर्वी/2001 से आच्छादित रिवाल्वर सं० सी:5856 एनपीबी 32बोर माननीय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पत्रांक सं० 2540 दिनांकित 2.11.11 के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अली अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं० 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर 80,000रु० में दिनांक 9.11.2011 को विक्रय करने के उपरांत लघु आयुध निर्माणी कानपुर से जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 9835/जी०एस०/2011 के आधार पर दिनांक 30.3.2012 को मुबलिग 1,14,912रु० में कय कर लिया है। संबंधित अभिलेख संलग्न आवेदन हैं। सूचना श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु रखे जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक: 07.04.2012

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Rodaw
07.04.12

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

Ramabai Nagar Judgeship at, Kanpur.

No. 415/XV

Dated: 05-4-2012.

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at, Allahabad for necessary action.

AM
09-4-12
District Judge,
Ramabai Nagar.

Request-96

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

सेवा मे,

माननीय महा-निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।


द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद रमाबाई नगर।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैंने माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं० 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दि० नवम्बर 2, सन् 2011 के आधार पर अपने शस्त्र लाइसेन्स सं० 220/थाना--जी०एस० कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं० सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं० 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर आज दिनांक 09.11.2011 को 80,000रु०(अस्सी हजार रु०) में क्रेता द्वारा निर्गत बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सैदाबाद के चेक सं० 867637 के आधार पर विक्रय कर दिया है। क्रेता का कोई भी मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उनका कोई वाद मेरे द्वारा पूर्व में निस्तारित किया गया है। क्रेता मेरे मूल निवास से संबंधित खण्ड विकास के निवासी हैं।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,

09.11.11

दिनांक: 09.11.2011

(रमेश कुमार यादव)

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

संलग्नक:

1. माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट के आदेश दिनांक 2.11.2011 की छाया प्रति।
2. विक्रय पत्र दिनांकित 9.11.2011 की छाया प्रति।
3. चेक सं० 867637 की छाया प्रति।

Request - 96

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर(उ०प्र०)

संख्या 2539 / आयुध सहायक

दिनांक नवम्बर 02, 2011

विषय- शस्त्र लाइसेन्स संख्या-220/जी०एस०कर्वी की सत्यापन आख्या
उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मेमो/ए०एल०सी०-
सत्यापन/नवीनीकरण दिनांक-13-10-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री
सत्यनारायण यादव निवासी अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद तत्कालीन
सिविल जज(जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट, को जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट
के आदेश दिनांक-15-12-2001 द्वारा शस्त्र एन०पी०बोर रिवांल्वर/पिस्टल का
लाइसेन्स स्वीकृत एवं निर्गत किया गया है। जिसका लाइसेन्स संख्या-
220/जी०एस०कर्वी शस्त्र एन०पी०बोर रिवांल्वर/पिस्टल संख्या-सी- 5856-32बोर
सीमा सम्पूर्ण भारतवर्ष है। शस्त्र रजिस्टर के अनुसार नवीनीकरण तिथि
15-12-2008 अंकित है।


उक्त शस्त्र लाइसेन्स का पंजीकरण/नवीनीकरण यदि आपके यहां किया
जाता है तो अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति न होगी।



भवदीय,

प्रभारी अधिकारी "शस्त्र"
कृते जिला मजिस्ट्रेट-चित्रकूट।

Request - 96



1.

Request - 96

Name of the Licensee	Address of the Licensee	Arms & Ammunition that license is entitled to possess			Name of the Licensee (if any) covered by the Licence	Name of Ammunition that retailer of unit tied of possess		Date on which license is valid	Date on which license is valid	Date on which license or the arms of both shall be produced for inspection before licensing authority under rules 50 (2)
		Description of Arms & Ammunition	Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchasable during the year		Arms	Ammunition			
<p>लतिका 9835 / जे. ए. ए. / 2011</p> <p>राजेश कुमार शर्मा</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p>	<p>राजेश कुमार शर्मा</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p> <p>श्री 201 सी एच पार्सियर टोपिया</p>	<p>10 (16)</p>	<p>25</p>	<p>Office of the District Magistrate</p> <p>कानपुर</p>	<p>राजेश कुमार शर्मा</p>	<p>31-12-2011</p>	<p>31-12-2011</p>	<p>12-20-11</p>	<p>11</p>	

अनुमति संख्या 220/55 काशी मित्र प्रिन्टिंग
 मित्र प्रिन्टिंग काशी
 शान्ति नगर काशी
 दिनांक 8-12-11

(SEAL)
 License Authority
 कानपुर नगर
 23-12-11

1.

Request-96

The arms covered by the licence shall be acquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within the period so specified or extended the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be in force.

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and
year of
Renewal

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Renewed upto
Date and
year of
Renewal **31-12-2014**

A.D.M. (City)
Kanpur Nagar

24/1/14

(8)

(9)

Request-96

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर/कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र,
चित्रकूट।

महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि आपके पत्रांक सं० 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक 02.11.2011 के आधार पर मैंने शस्त्र लाइसेन्स सं० 220/जी०एस० थाना-कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं० सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाईसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर दिनांक 09.11.2011 को विक्रय कर दिया है।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,

Radar
21.12.11

दिनांक: 21/12/2011

(रमेश कुमार यादव)

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)

संलग्नक:

रमाबाई नगर/कानपुर देहात।

1. विक्रय पत्र की छाया प्रति
2. श्रीमान् जी के आदेश दि:
2 नवम्बर 11 की छाया प्रति

वर्तमान पता:

टाइप: IV/VII-रावतपुर आफिसर्स
कालोनी, कानपुर नगर।

प्राप्त किया
Ac=
29/12/2011

Request - 96

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
(प्रायोजक : बैंक ऑफ बड़ौदा)
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(Sponsored by : BANK OF BARODA)

चालू खाता / Current Account

ब.प. L.F.	ल.ह. INTLS.
--------------	----------------

दिनांक/Date 9-11-2011

PAY Ramesh Kumar Yadav

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Eighty thousands only

अदा करें

रु. Rs.	80,000/-
------------	----------

T.सं. c.No.	6280--
----------------	--------

खा :
anch :

L/CA/2009/A

Mehrab Alam.

867637


Request-96

APPLICATION FORM FOR BOOKING OF Revolver 32 MK III/ANMOL 32(7.65mm) REVOLVER (LONG BARREL)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES
SMALL ARMS FACTORY
KALFI ROAD,
KANPUR (U.P.)
PIN - 208009



Gram : SAF AC
Tel : 0512-2295042 TO 46
Ext. - 5292 & 5688
FAX : 0512-2296229



FOR OFFICIAL USE ONLY

Diary No.

Diary Date :

Booking No. :

To:
The General Manager
Small Arms Factory
Kalpi Road, Kanpur-208 009.

(All entries should be neatly written/typed in CAPITAL letters)

1. Full Name	RAMESH KUMAR YADAV
2. Father's/Husband's Name	SRI SATYA NARAYAN YADAV
3. Telephone No. With STD Code	0512-2540100
4. Full Postal Address	T. IV/7, RAWATPUR OFFICER COLONY P.S. NAWABGANJ. KANPUR NAGAR, PIN-208009
5. Permanent Address	VILLAGE. ANJANA, POST SAIDABAD. P.S. HANDIA DISTT. ALLAHABAD (U.P.)
6. a. ARMS LICENSE No. b. Whether license valid for 0.32" or N.P. Bore Revolver c. Arms License Valid Area d. Arms License Valid Date e. Arms License Issuing Authority	9835/G.S./2011 YES/NO ALL INDIA 31.12.2014 DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR
7. Arms License Address	DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR (T. IV/7, Rawatpur Officer Colony, Kanpur Nagar)
8. Full Postal address of licensing authority	DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR PINCODE 208001 Telephone No. With STD Code 0512-2304435
9. a. Bank Draft No. & Date b. Bank's Name & Branch (Please see instruction no. 2)	749733, 749734, 749735 - 20.12.2011 UCO BANK, KANPUR NAGAR (Kalpi Road)
10. Speciman Signature of the applicant	(i) 20.12.11 (ii) 20.12.11
11. Tick the Arms	<input checked="" type="checkbox"/> a. Anmol 32 (7.65 mm) Long Barrel ₹ 110774.00 (Inclusive Taxes) <input type="checkbox"/> b. Revolver 32 (7.65mm) MK-III ₹ 84082.00 (Inclusive Taxes)
Encl. : 1. Bank Draft of Rs. 110774.00 2. Two Copy of Arms License dully attested.	

INSTRUCTIONS FOR FILLING OF FORM

- All entries in form should be filled in BLOCK CAPITAL LETTERS or neatly typed.
- Enclose a crossed bank draft of requisite amount which Drawn in favour of the General Manager.
- Enclose two attested photocopy of your valid Arms License for NP bore Revolver issued by the Licensing Authority.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE


Request-96

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Orders will be accepted in prescribed form only, which can be obtained from the factory or downloaded from internet website www.ofb.gov.in or www.ofb India/gov.in 2. Orders from Indian Citizens having valid Arms License for NP bore revolver issued by appropriate Civil Authority will only be registered. (Application form must accompany attested copy of Arms License & a Self Addressed Registered Envelop). 3. An applicant can book one revolver at a time 4. Payment of requisite amount against type of revolver will be required through Bank draft in favour of GM/SAF, Kanpur with Application Form. The advance deposit will be adjusted in the final bill on maturity of the order. In case of cancellation of order on customer's request, Rs. 1000/- will be deducted as Service/Cancellation charge. 5. Incomplete forms will summarily be rejected. General Manager, Small Arms Factory, reserves the right to refuse to book any order without assigning any reason what so ever without giving any notice. 6. Advice Note to individuals to complete the formalities against order will be issued in time depending upon production/stock, strictly in sequence of serial No. of priority allocated.
The formalities required to be completed are as indicated below:
If the terms and conditions are acceptable, the individual may return the Acceptance Note duly filled in, along with payment and other specified documents i.e. (i) Crossed Bank draft in favour of GM/SAF for the amount as will be indicated in the Advice Note, (ii) Original Arms Licence for revolver valid at the time of delivery of the revolver and (iii) any other document required under Arms Rule 1962. 7. In the event of failure to comply with any or all the above formalities with time as specified in advice Note, the amount deposited will be refunded after deducting Rs. 1000/- as Service/Cancellation Charge. However, GM/SAF reserves the right to extend or refuse to extend the above time limit at his discretion. 8. Price/Duties/Taxes applicable on the date of actual supply will be applicable / chargeable. Any increase in taxes/Duties or new taxes effective from or prior to the date of supply but coming to the notice of the factory at a later date will also be payable by the customer within one month of demand. | <ol style="list-style-type: none"> 9. Every effort will be made to effect supplies in sequence of the Priority Number but no guarantee is given to this effect. No liability will be accepted for any change of sequence of supply for any reason what so ever. 10. No. claims of demand of any loss or damage due to delayed execution of order will be entertained. 11. No responsibility or liability will be accepted for postal delays. 12. Right is reserved to cancel any order without assigning any reason and without giving any prior notice. In this event, payments received against such orders will be refunded as due. 13. No liability is accepted for compensation/interest on advance or full payment received against the order booked with the factory for any reason what so ever. 14. Notwithstanding what have here-in-fore been stated, Chairman, Ordnance Factory Board, Ministry of Defence, Govt. of India reserve the right to sell the Revolver to any Govt. Department/Autonomous Bodies/individual at his discretion out of turn. 15. Revolvers once sold will not be taken back/exchanged for any reason whatsoever. 16. Except where otherwise provided in the Terms and Conditions for sale, all questions and disputes arising in connection with this contract shall be referred to the sole Arbitrator to be appointed by the chairman, Ordnance Factory Board. It will be no objection that Arbitrator appointed is a Govt. Servant. The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties to this contract. Subject as aforesaid, the Arbitration & Conciliation Act 1996 and Rules made there under for time being in force shall be deemed to apply to the Arbitration proceedings under this clause. 17. The above procedure of sale is subject to alteration or modification at any time without any notice at the discretion of the chairman, Ordnance Factory Board. 18. Revolvers will not be saleable / transferable for five years from the date of purchase / supply. 19. All disputes shall be subject to Kanpur Jurisdiction only. 20. Filled forms are accepted by Registered Post only. 21. Please send one form in one envelop and write clearly on envelop 'Application for Revolver 32 (7.65mm) MK III Or Anmol 32 (7.65mm) Revolver (LONG BARREL)' 22. In case your license is found false the amount deposited shall be forfeited. |
|--|--|

NOTE: Incomplete Forms/Illegibly written Forms/Forms without Proper enclosures will be rejected and GM, SAF will bear no responsibility whatsoever in such case.

ACCEPTANCE NOTE

I have read the terms and conditions printed above/attached and the same are acceptable to me. I hereby undertake to abide by the conditions stipulated therein. I undertake not to re-sell this weapon within five years from the date of purchase.


 (Signature of the Applicant)

अदायगी आदेश **PAY ORDER**
ARMAPUR ESTATE, KANPUR

0384

केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY

28-12-2011

GM SAF

PAY

अपरिचाल्य
NOT NEGOTIABLE

को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Twelve Thousand Seven Hundred Seventy Four

*****12,774.00
रु. Rs.

अदा करें

only

यूको बैंक
UCO Bank

***** Not Over INR. 12,774.00 *****

कृते यूको बैंक
For UCO Bank

अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
CPO ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

सं प्रबन्धक / Astd. MANAGER

प्रबन्धक / MANAGER

(भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

⑈ 749735⑈ 2080 2800 7⑈

1 2

Request 96

अदायगी आदेश **PAY ORDER**
ARMAPUR ESTATE, KANPUR

0384

केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY

28-12-2011

GM SAF

PAY

अपरिचाल्य
NOT NEGOTIABLE

को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Forty Nine Thousand

*****49,000.00
रु. Rs.

अदा करें

only

यूको बैंक
UCO Bank

***** Not Over INR. 49,000.00 *****

कृते यूको बैंक
For UCO Bank

अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
CPO ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

सं प्रबन्धक / Astd. MANAGER

प्रबन्धक / MANAGER

(भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

⑈ 749734⑈ 2080 2800 7⑈

1 2

अदायगी आदेश **PAY ORDER**
ARMAPUR ESTATE, KANPUR

0384

केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY

28-12-2011

GM SAF

PAY

अपरिचाल्य
NOT NEGOTIABLE

को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Forty Nine Thousand

*****49,000.00
रु. Rs.

अदा करें

only

यूको बैंक
UCO Bank

***** Not Over INR. 49,000.00 *****

कृते यूको बैंक
For UCO Bank

अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
CPO ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

सं प्रबन्धक / Astd. MANAGER

प्रबन्धक / MANAGER

(भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

⑈ 749733⑈ 2080 2800 7⑈

1 2

MADRAS SECURITY PRINTERS, CHENNAI

MADRAS SECURITY PRINTERS, CHENNAI

To,
The District Judge,
Ramabai Nagar,
(Raipur District)

Request - 96

153 No. 12517 / IV - 2910 / Admin(A) / Dated 22-8-2012

Subject! - Information about Sale and purchase of
Revolver, as submitted by Sri. Ramesh K.
Yadav, Et Addl. C.J.M., Ramabai Nagar.

Sir,

With reference to your endt. no. 762/XIV
dated 05.07.2012 on the above subject, I have
to say that Sri. Ramesh Kumar Yadav, Addl.
C.J.M., Ramabai Nagar has not submitted
proper reply and details, as questioned and
asked to ~~prod~~ submit, in this Court's earlier
letter no. 7534 / IV - 2910 / Admin(A) dated
16.05.2012.

He may, therefore, kindly be asked to
reply accordingly ~~with~~ covering each and
every points / query raised in the Court's letter
dated 16.05.2012, referred to above, so that
further necessary action may be taken in the
matter.

Yours faithfully
Maharandi
14.8.12

Dy. Registrar

D.R.(M)
May issue?
K. Sainaf
08.08.12
Dy. Registrar
09.08.12

D.R.
9-8-12
A.M.

Santal
24-7-12
Encl-10

25-7-12
Reg No 11699
File No 29/0
Serial No 150
9/8/12

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1 रमाबाई नगर।

सेवा में,

श्रीमान महरानीदीन
उपनिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Request-96

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
रमाबाई नगर।

विषय: पत्रांक संख्या-7534/1 -2910/ एडमिन (ए) दिनांकित
इलाहाबाद 16.05.12 के संदर्भ में :-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सम्मान पूर्वक निवेदन है कि मैंने श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा निर्गत सशस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-220/ सी0 एस/02001 कर्वी चित्रकूट से आच्छादित रिवाल्वर संख्या-सी5856एन पी32 बोर कय किया था जो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। मेरी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति श्रीमान जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत किया गया जो शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 9835 जी0 एस0/2011/थाना नबावगंज कानपुर नगर के रूप में है। तदनुसार मेरी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीन नहीं है।

शस्त्र का कय व विकय बिना जिलाधिकारी की अनुमति के संभव नहीं है। अतः श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या-2540 दिनांकित 02.11.11 के आधार पर उपरोक्त शस्त्र को विकय करके नवीन शस्त्र कय करने की प्राप्त अनुमति के उपरान्त उपरोक्त शस्त्र विकय करके उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति के आधार पर शासकीय संस्था लघु आयुध निर्माणी कानपुर से नवीन शस्त्र कय करने के उपरान्त मैंने माननीय उच्च न्यायालय को समस्त सुसंगत अभिलेखों एवं विवरणों के साथ तत्काल संसूचित किया है जिसकी छाया प्रतियों श्रीमान जी के अवलोकनार्थ संलग्न आवेदन है। मैंने प्रश्नगत शस्त्र का कय एवं विकय करने

शेष पेज संख्या-2 पर

Sr Admn
2
08/8/12

Request-96

2

में जानबूझकर किसी नियम या व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा भ्रमवश कोई त्रुटि कारित हो गयी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों के प्रकाश में मेरे प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

सादर

Ramesh Kumar Yadav
05-07-12

दिनांक 05-07-12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, रमाबाई नगर।

संलग्नक

- 1-श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11की छाया प्रति।
- 2-प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.11 एवं 07.04.12 की छाया प्रति।
- 3-शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।
- 4-विक्रय पत्र की छाया प्रति।
- 5-चेक की छाया प्रति।
- 6-चालान की छाया प्रति।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship

No. 762/12 dated 05-7-2012.

Forwarded to *Sd. Mahanand Lal*, Dy. Registrar,
Hon'ble High Court, Allahabad.
for necessary action.

M
District Judge
Ramabai Nagar.
05-7-12.

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
कानपुर देहात।

सेवा मे,

गहा-निबन्धक महोदय,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
रमाबाई नगर।

विषय:शस्त्र कथ किए जाने के सम्बन्ध में :-
महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि मैंने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 220/जी०एस.कर्वी/2001 से आच्छादित रिवाल्वर सं० सी:5856 एनपीबी 32बोर माननीय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पत्रांक सं० 2540 दिनांकित 2.11.11 के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अली अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं० 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर 80,000रु० में दिनांक 9.11.2011 को विक्रय करने के उपरांत लघु आयुध निर्माणी कानपुर से जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 9835/जी०एस०/2011 के आधार पर दिनांक 30.3.2012 को नुबलिंग 1,14,912रु० में क्रय कर लिया है। संबंधित अभिलेख संलग्न आवेदन हैं। सूचना श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सहायुभूतिपूर्वक विचार हेतु रखे जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक: 07.04.2012

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

Ramabai Nagar Judgeship at, Kanpur.

No. 415/12

Dated: 09-4-2012.

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at, Allahabad for necessary action.

MW 09-4-12
District Judge,
Ramabai Nagar.

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

Request-96

सेवा मे,

माननीय महा-निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।


द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद रमाबाई नगर।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैंने माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं० 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दि० नवम्बर 2, सन् 2011 के आधार पर अपने शस्त्र लाइसेन्स सं० 220/थाना--जी०एस० कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं० सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं० 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर आज दिनांक 09.11.2011 को 80,000रु०(अस्सी हजार रु०) में केता द्वारा निर्गत बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सैदाबाद के चेक सं० 867637 के आधार पर विक्रय कर दिया है। केता का कोई भी मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उनका कोई वाद मेरे द्वारा पूर्व में निस्तारित किया गया है। केता मेरे मूल निवास से संबंधित खण्ड विकास के निवासी हैं।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,

09.11.11

दिनांक: 09.11.2011

(रमेश कुमार यादव)

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

संलग्नक:

1. माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट के आदेश दिनांक 2.11.2011 की छाया प्रति।
2. विक्रय पत्र दिनांकित 9.11.2011 की छाया प्रति।
3. चेक सं० 867637 की छाया प्रति।

Request-96

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट

पत्रांक-25117/अ.स. सहायक

दिनांक

नवम्बर 2, 2011

आदेश


श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0-कवी/2001 शस्त्र एन0पी0वोर रिवांत्वर/पिस्टल संख्या-सी-5856-32वोर के धारक है, प्रार्थी अपने उक्त शस्त्र एन0पी0वोर रिवांत्वर संख्या-सी-5856-32वोर को किसी वैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता की दुकान में विक्रय कर नया शस्त्र क्रय करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की है।

अतः श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद जो तत्कालीन सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट के लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0/2001 में अच्छादित शस्त्र रिवांत्वर संख्या-सी-5856-32वोर को वैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता को विक्रय कर नया शस्त्र तीन माह के अन्दर क्रय कर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

प्रतिलिपि श्री रमेश कुमार यादव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमाबाई नगर(उ0प्र0) को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।



request - 96



Name of Licensee श्री रमेश कुमार यादव
 Father's Name
 Age Date of Issue
 Address


(1)

सिस्टम - २ अर्ध शूटिंग १५-१२-२००८ द्वारा स्विकृत।

Form No. III Contd.

Sr. No.	Arms & Ammunition that licensee is entitled to possess	Name of the retainer of Arms	Name of Ammunition that retainer of Arms is entitled to possess	Date on which license shall be produced for inspection before licencing authority under rules 50 (2)		
				Arms with which license is valid	on which license is valid	shall be produced for inspection before licencing authority under rules 50 (2)
10	10 शूटिंग	श्री रमेश कुमार यादव	शूटिंग	15-12-2008	22-3-2002	
25	25 प्रचालक	श्री रमेश कुमार यादव	प्रचालक	15-12-2008	22-3-2002	

पता - 9835 / P.S. जमाना
 पिन 220/85-200/200
 श्री रमेश कुमार यादव पुत्र
 श्री सुख नारायण यादव
 पिन 220/85-200/200
 वसति स्थान एडिज कानपुर शूटिंग क्लब
 वसति स्थान एडिज कानपुर शूटिंग क्लब
 उपाय - सिस्टम



22-12-2001 of 2001
 (6)

(SEAL) Licence Authority Designation
 22-12-2008

photo attached
 15/12/11
 Addl. C...
 Kanpur
 what

The arms covered by the licence shall be acquired and that if a licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within the period so specified or extended the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be in force.

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

renewed up to 31-12-2011

O. C. (A)
KANPUR

24-12-11

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

प्रवासी अधिकारी (कानपुर)
31-12-11
कानपुर नगर
एन जे नगर के फार्म नंबर 9835 पर पंजीकृत
एन जे नगर के फार्म नंबर 9835 पर पंजीकृत
कानपुर नगर के फार्म नंबर 9835 पर पंजीकृत
कानपुर नगर के फार्म नंबर 9835 पर पंजीकृत
कानपुर नगर के फार्म नंबर 9835 पर पंजीकृत
कानपुर नगर के फार्म नंबर 9835 पर पंजीकृत


प्रवासी अधिकारी (कानपुर)
कानपुर नगर

31-12-11

Handwritten note in Hindi script, possibly reading "कानपुर नगर" (Kanpur City).

Request-96

कर्मचारी
 नाम -
 सुभा
 कुमार
 माह
 (सिपिड एस)


 Office of The District Magistrate
 Kanpur

No. of Licence: **9835/95/2011**
 Kanpur Nagar
 Father's Name: श्री सुभा नारायण

Age: **46 वर्ष** Date of Issue: **23-12-2011**
 Address: **ग्राम अलेखना थाना इन्डिया**
पुलवा इलाहाबाद 209

(1)

Arms & Ammunition that licence is entitled to possessed	Name of the Licensee	Name of the Father's Name and retainer (if any) covered by the Licence	Arms & Ammunition that retainer of entitled to possess		Area within which licence is valid	Date on which licence is valid	Date on which licence for the arms of both shall be produced for inspection before licensing authority under uries 50 (2)
			Arms	Ammunition			
10/140 25/	श्री सुभा कुमार माह 510 श्री सत्यनारायण नगर सि. इलाहाबाद पिन-201001 उपायुक्त इलाहाबाद श्री N.P. सिंह	श्री सुभा नारायण			सुभा नगर	31-12-2011 31-12-2011	23-12-2011

श.नं. 9835 / अ.सं. 2011
 श.नं. 220/55 काबाली सि. इलाहाबाद
 सि. इलाहाबाद
 शा.नं. 23-12-11
 23-12-11

(SEAL)
 License Authority
 Kanpur

अधिकारी (सिपिड एस)
 (कानपुर नगर)

Request-98

The arms covered by the licence shall be acquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within the period so specified or extended the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be in force.

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Renewed upto
Date and year of Renewal **31-12-2014**

**A.D.M. (City)
Kanpur Nagar**

24/12/14

(8)

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE


Date and year of Renewal

(9)

Request-98




Name of Licencee
 Father's Name
 Age Date of Issue
 Address



(1)

५१०७० २०४०८१० २१-०९-२०११ @ २५०₹
 ५-८-१२-२०११

2. No. of Licence	3. Name & Description and residence of Licencee	Arms & Ammunition that licence is entitled to possessed		6. Name of Father's Name and retainer (if any) covered by the Licence	Name of Ammunition that retainer of entitled of possess		9. Area within which licence is valid	10. Date on which licence is valid	11. Date on which licence of the arms of both shall be produced for inspection before licence authority under rules 50 (2)	
		3. Brief Description of each Weapon with detailed e.g. Identification marks register number etc.	Arms & Description of each kind Ammunition		7. Arms	8. Ammunition				
			4. Maximum to be processed at any one-time							5. Maximum purchaseable during the year
2-N.O. 10612/५१७१/९१७१/९१७१	५१०७० २०४०८१० २१-०९-२०११ @ २५०₹									
५१०७० २०४०८१० २१-०९-२०११ @ २५०₹	५१०७० २०४०८१० २१-०९-२०११ @ २५०₹									
५१०७० २०४०८१० २१-०९-२०११ @ २५०₹	५१०७० २०४०८१० २१-०९-२०११ @ २५०₹									



The 16-9-2011 of 21-09-2011 (6)

(SEAL) License Authority Signature
 प्र. स. स. अधिकारी (ब. स. स.)
 कते पला म. स. स. स. स. स. स.

Request-96



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 001356

विक्रय पत्र

माननीय जिलाधिकारी/पंचायती अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं०-2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक- नवम्बर 2, सन- 2011 (छायाप्रति सलग्न) के आधार पर मैंने शस्त्र लाइसेन्स संख्या- 220/ थाना- जी०एस० कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर संख्या-सी-5856 (32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अहमद निवासी-ग्राम सैदाबाद थाना- हण्डिया जिला-इलाहाबाद क वैध शस्त्र संख्या-10617/2011 थाना-हण्डिया के आधार पर आज दिनांक-09-11-2011 को 80,000/-रु०(अस्सी हजार रुपये में) केता द्वारा निर्गत/उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा- सैदाबाद के चेक सं०- 867637 के आधार पर विक्रय कर दिया।

हस्ताक्षर केता-
मेहताब आलम
मेहताब आलम
पुत्र स्व० मुश्ताक अहमद
निवासी- ग्राम सैदाबाद
थाना- हण्डिया
जिला- इलाहाबाद

हस्ताक्षर विक्रेता
रमेश कुमार यादव
रमेश कुमार यादव
पुत्र श्री सत्य नारायण यादव
निवासी- ग्राम अंजना
पोस्ट-सैदाबाद थाना-हण्डिया
जिला- इलाहाबाद

Handwritten signature and notes in Hindi, including 'मेहताब आलम' and 'रमेश कुमार यादव'.

UPP... जिला- इलाहाबाद
...सिविल जज सी०.३० रमाबाई नगर।

मूल प्रति प्राप्त किया
मेहताब आलम 09-11-11



Vertical text on the left side, including 'Certified that this document is a true copy of the original' and 'Presented before me by...'

Request-96

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
(प्रायोजक : बैंक ऑफ बड़ौदा)
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(Sponsored by : BANK OF BARODA)

चालू खाता / Current Account

व.प. LF	ल.ह. INTLS.
------------	----------------

दिनांक/Date... 9-11, 2011

PAY Ramesh Kumar Yadav

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Eighty thousand only
अदा करें

रु. Rs. 80,000/-

T. No. 6280-

खा:
anch..

L/CA/2009/A

Mehrab Alam.

867637

Request-96

In Lieu of I.A.F.Z.-2096

Receipt. Issue and Expense Voucher

To be completed by Issuing Officer

Basic Cost Rs 83000.00

Issue Vr No : P.-9309 ✓ DT. 03/2012

Unit : SMALL ARMS FACTORY.

Station : KANPUR

AAO/SO(A)

The articles anumerated below have been issued to :

SRI RAMESH KUMAR YADAV ✓
S/O SRI SATYA NARAYAN YADAV
HOUSE NO T IV/7. RAWATPUR
OFFICER COLONY.PS : NAWABGANJ
DISTT : KANPUR (UP) Pin : 208002

In compliance with :

REF :- i. SAF L/No. 56537ALLOT/ 2011128643/CT DT.
ii. Bank Draft No. DT. &
749733 28/12/2011
749734 28/12/2011
749735 28/12/2011

For Rs 112843.00

a. Basic Cost @	83000.00	Rs	83000.00
b. B.E.D.	12.00 %	Rs	9960.00
c. Education Cess	2.00 %	Rs	199.00
d. Sec & Higher Edu. Cess	1.00 %	Rs	100.00

Total Rs 93259.00

NON VAT @ 20% 21.00 % Rs 19584.00

Grand Total Rs 112843.00

iii. Arms Licence No.9835/GS/2011 (Issued By DM KANPUR)
Valid Upto : 31/12/2014

Sl. No.	Article	Unit	Quantity Total	Serviceable
---------	---------	------	----------------	-------------


Anmol 32 (7.65mm) REGD No. A-0900A. ✓	No./40	1	1
--	--------	---	---

Wt. No. - 345/0 (Not saleable/transferable for 5 Years from 30/03/2012)
SWD No. - 80/16700/00

Received Above Revoiver.

Yadav
30-03-12 ✓
Signature of Consignee/His Rep.

[Signature]
For GENERAL MANAGER
Small Arms Factory
Kanpur



SMALL ARMS FACTORY, KANPUR

0276117

U.P.T.T No. KR 0641206
C. S. T. No. KR-7173

INVOICE / CHALLAN
(RULES 52 A & 178 C)

Central Excise Reg. No. AAA-G-S 000 W - 01 001 Dt. 11.1.09

Code No.:

ORIGINAL FOR BUYER (WHITE)

Postal Address of Range & Div. Range - I, Central Excise Div.- I 117/7, Sarvodaya Nagar, Kanpur	Consignor The General Manager SMALL ARMS FACTORY Kalpi Road, Kanpur	Consignee In No. 09437801465 SRI RAMESH KUMAR YADAV S/O SRI SATYA NARAYAN YADAV HOUSE NO T 1V/7, RAWATPUR OFFICER COLONY, PS : NAWABGANJ DISTT : KANPUR (UP) Pin : 208002	Invoice/Challan No. 201109379 /Dt./Time of issue 10/01/2012 09:11:30 /Dt. Time of removal Mode of Transport By Hand Regn. No. of Vehicle
--	---	---	---

Sl. No.	Description & Specification of goods	No. & Description of Packages	Total Quantity of goods (net)	Rate per unit	Total price of goods	Deduction/ Add. made to arrive at value under section 4	Assessable Value/Tariff Value per unit	Total Assessable Value/Tariff Value	Rate of Duty	Total duty paid in words/ Figures
	Cartridge (7.65mm)	1	1	Rupees 83000.00	Rupees 83000.00		Rupees 83000.00	Rupees 83000.00	10% B.E.D 2% Edu. Cess 1% High Edu. Cess.	Rupees 9960.00 199.00 100.00

Request - 06


Tariff Heading No. / Exempted notification No. : 9302
Sl. No. of Debit entry in

Certified that the particulars given above are true and correct and the amount indicated represents the price actually charged and that there is no flow additional consideration directly or indirectly from the buyer.

OR

Certified that the particulars given above are true and correct and the amount indicated is provisional as additional consideration will be received from the buyer on account of.

For General Manager
SMALL ARMS FACTORY, KANPUR


(Signature of the licence or his authorised agent)

Total Rs.	93259.00
Discounts (If any) Rs.	
C.S.T./NON VAT	19584.00
Surcharge	
Fright (+/-)	112843.00
G. Total	

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1 रमाबाई नगर।

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
रमाबाई नगर।

विषय: आवास हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति के संदर्भ में :

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मुझे जनपद इलाहाबाद में आवास हेतु भूखण्ड की आवश्यकता है, सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद झूसी, इलाहाबाद, योजना संख्या-3 में आवासीय भूखण्ड संख्या 1/45 क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर, एवं भूखण्ड संख्या-1/46, भूखण्ड संख्या-147, एवं भूखण्ड संख्या-1/48 प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मीटर भूमि किसी के पक्ष में आवंटित नहीं किया गया है, न ही उक्त भूखण्डों पर कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। मैं उक्त भूखण्डों में से आवासीय भूखण्ड संख्या-1/47 एवं 1/48 कुल क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग मीटर भूमि भवन निर्माण हेतु क्रय करना चाहता हूँ जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय से पूर्वानुमति अभीष्ट है। अनुमति प्राप्त होने तथा उक्त भूखण्डों को क्रय करने के उपरान्त नियमानुसार अभिलेखों सहित सम्यक सूचना सम्प्रेषित की जायेगी।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद झूसी, इलाहाबाद योजना संख्या-3 स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-1/47 क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मीटर, एवं आवासीय भूखण्ड संख्या-1/48 क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर भूमि आवास हेतु भवन निर्माण के लिए क्रय करने की अनुमति संबंधी मेरा प्रस्तुत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ रखे जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक 01-6-2012

भवदीय,

R. Kumar
01.06.12

(रमेश कुमार यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, रमाबाई नगर।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship
No. 655/IV dated 02-6-2012.
Forwarded to The Registrar General,
Honorable High Court, Allahabad.
for necessary action.

District Judge
Ramabai Nagar.
02-6-12.

6
26-6-12

6
6-7-12

1-249
149
3
9/7/12

Q
9-7-12

8
4-8-12

Request-96

Scout
4-7-12
W.O. Ford

2012
So. Adm. 1/11

DR(M)
03-7-12

10
D.R.M.
(wds)

10
7
08 JUL 2012

156

To,
The District Judge
Ramabai Nagar,
(Kampur Dehat).

Request-96

148

No - 7534 / IV - 2910 / Admin (A) / Dated 16-5-2012

Subject :- Information about sale and purchase of
Revolver, as submitted by Sr. Ramesh
Kumar Yadav, Civil Judge (Sr. Div.),
Ramabai Nagar.

Sir,

With reference to your endt. no. 415 / xiv
dated 09.04.2012 on the above subject, I
have to say that Sr. Ramesh Kumar Yadav,
Civil Judge (Senior Division), Ramabai Nagar
may kindly be asked to submit his clarification
as to why he has ~~not~~ sold his old Revolver to
a private person without obtaining prior
permission of this Court as prescribed in
Rule 24(2) of U.P. Government Servant's Conduct
Rules 1956, as well as to submit further clarification,
also as to why he has purchased a new
Revolver without obtaining prior permission
of this Court in the light of this Court's C.L. no.
11 / IV h-16 / Admin (A) dated 12.04.2010.

He may also be asked to submit
complete and pointwise information about
purchase of new Revolver in the light of this
Court's C.L. no. 25 / Admin (A) dated 13.07.1998,
alongwith all the relevant papers, as asked
for therein (Court's C.L., referred to above), so
that further necessary action may be taken
in the matter.

Yours faithfully
Maharanga
9.5.12

Dy. Registrar

D.R. (M)
May issue?
K. Jaiswal
20.04.12
D. S. V. S. S. S.
21.04.12
Sharma
21-11-12
AR

10/11/12
10/11/12

Sarwat
12-4-12
Encl-6

477
10-4-12

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
कानपुर देहात।

12/4/12

155

सेवा में,
महा-निबन्धक महोदय,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
रमाबाई नगर।

विषय: शस्त्र कय किए जाने के सन्दर्भ में :- महोदय,

17.4.12
Request-96
16/4/12

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि मैंने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 220/जी०एस.कर्वी/2001 से आच्छादित रिवाल्वर सं० सी:5856 एनपीबी 32बोर माननीय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पत्रांक सं० 2540 दिनांकित 2.11.11 के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अली अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं० 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर 80,000रु० में दिनांक 9.11.2011 को विक्रय करने के उपरांत लघु आयुध निर्माणी कानपुर से जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 9835/जी०एस०/2011 के आधार पर दिनांक 30.3.2012 को मुबलिंग 1,14,912रु० में कय कर लिया है। संबंधित अभिलेख संलग्न आवेदन हैं। सूचना श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु रखे जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक: 07.04.2012
संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
07.04.12

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

Ob
1129
So. Admn. M/A
11.4.12

JRCM
11-4-12

12

JRCM

Withdrew 6 sent

Ramabai Nagar Judgeship at, Kanpur.

No. 415/XV Dated: 09-4-2012
Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at, Allahabad for necessary action.

9.4.12
District Judge,
Ramabai Nagar.

S. A. V. K. S.
19.4.12

Request - 96

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट,

154

प्रक्रांक-2547/आयुध सहायक

दिनांक

नवम्बर 2, 2011

आदेश

श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0-कर्वी/2001 शस्त्र एन0पी0बोर रिवांल्वर/पिस्टल संख्या-सी-5856-32बोर के धारक है, प्रार्थी अपने उक्त शस्त्र एन0पी0बोर रिवांल्वर संख्या-सी-5856-32बोर को किसी बैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता की दुकान में विक्रय कर नया शस्त्र क्रय करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की है।

अतः श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद जो तत्कालीन सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट के लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0/2001 में अच्छादित शस्त्र रिवांल्वर संख्या-सी-5856-32बोर को बैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता को विक्रय कर नया शस्त्र तीन माह के अन्दर क्रय कर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

✓ प्रतिलिपि श्री रमेश कुमार यादव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमाबाई नगर(उ0प्र0) को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।



Request-96

153



ges

Name of Licencee

Father's Name


Age Date of Issue

Address

(1)

पता १०४०८ १० २१-०९-२०११ २५०४
 ५-३१-१०११-१००२

SI No. Licence	Name & Description and residence of Licence	Arms & Ammunition that licence is entitled to possessed			Name Father's Name and retainer (if any) covered by the Licence	Name of Ammunition that retainer of entitled of possess		Area within which licence is valid	Date on which licence is valid	Date on which licence or the arms of both shall be produced for inspection before licensing authority under rules 50 (2)
		Brief Description of each Weapon with detailed e.g. Identification marks register number etc.	Arms & Description of each kind Ammunition			Arms	Ammunition			
			Maximum to be processed at any one-time	Maximum purchase able during the year						
१-१०-१०६१७ / ५१२१९०५५	१११२१९०५५ / १११२१९०५५									
५१३५६	५१३५६									
५१३५६	५१३५६									
५१३५६	५१३५६									
N.P.B	N.P.B									




The 16-9-2011 of 21-09-2011

(SEAL) Licence Authority प्रमाणिक अधिकारी (शस्त्र)
 कृते जला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद

(6)

Request-96

152



44AB 001356

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय पत्र

माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं0-2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक- नवम्बर 2, सन- 2011 (छायाप्रति सलग्न) के आधार पर मैंने शस्त्र लाइसेन्स संख्या- 220/ थाना- जी0एस0 कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर संख्या-सी-5856 (32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी-ग्राम सैदाबाद थाना- हण्डिया जिला-इलाहाबाद के वैध शस्त्र संख्या-10617/2011 थाना-हण्डिया के आधार पर आज दिनांक-09-11-2011 को 80,000/-रु0(अस्सी हजार रुपये में) क्रेता द्वारा निर्गत/उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा- सैदाबाद के चेक सं0- 867637 के आधार पर विक्रय कर दिया।

9/11/11

हस्ताक्षर क्रेता-

मेहताब आलम
 मेहताब आलम
 पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद
 निवासी- ग्राम सैदाबाद
 थाना- हण्डिया
 जिला- इलाहाबाद

हस्ताक्षर विक्रेता

रमेश कुमार यादव
 पुत्र श्री सत्य नारायन यादव
 निवासी- ग्राम अंजना
 पोस्ट-सैदाबाद थाना-हण्डिया
 जिला- इलाहाबाद

Handwritten signature and text: *Handwritten signature of Ram Kumar Yadav*
 Ram Kumar Yadav
 Son of Saty Narayan Yadav
 Resident of Anjana

Handwritten signature and text: *Handwritten signature of Mehtab Alam*
 Mehtab Alam
 9/11/11

Printed text on the left side: *Printed text: Certified that this document is authentic and identified by Sri. I.P. Singh...*

मूल प्रति प्राप्त किया
 मेहताब आलम 09-11-11

Request-96

151

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
(प्रायोजक : बैंक ऑफ बड़ौदा)
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(Sponsored by : BANK OF BARODA)

चालू खाता / Current Account

दिनांक/Date... 9-11-2011

ब.प. L.F.	ल.ह. INTLS.
--------------	----------------

PAY Ramesh Kumar Yadav

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Eighty thousand only

रु. Rs. 80,000/-

अदा करें

त.सं.
c.No. 6000-

खा :
anch :

LICA/2009/A

Mehrab Alam.

867637

Request-96

In Lieu of I.A.F.Z.-2096

Receipt, Issue and Expense Voucher

To be completed by Issuing Officer

Basic Cost Rs 83000.00

Issue Vr No : P.-9309 ✓ DT. 03/2012
Unit : SMALL ARMS FACTORY.
Station : KANPUR

AAO/SO(A)

The articles anumerated below have been issued to :

SRI RAMESH KUMAR YADAV ✓
S/O SRI SATYA NARAYAN YADAV
HOUSE NO T IV/7.RAWATPUR
OFFICER COLONY.PS : NAWABGANJ
DISTT : KANPUR (UP) Pin : 208002

150

In compliance with :

REF :- i. SAF L/No. 5653/ALLOT/ 2011128643/CT DT.
ii. Bank Draft No. DT. &
749733 28/12/2011
749734 28/12/2011
749735 28/12/2011

For Rs 112843.00

a. Basic Cost @	83000.00	Rs	83000.00
b. B.E.D.	12.00 %	Rs	9960.00
c. Education Cess	2.00 %	Rs	199.00
d. Sec & Higher Edu. Cess	1.00 %	Rs	100.00

Total Rs 93259.00

NON VAT @ 20% 21.00 % Rs 19584.00

Grand Total Rs 112843.00

iii. Arms Licence No.9835/GS/2011 (Issued By DM KANPUR)
Valid Upto : 31/12/2014

Sl. No.	Article	Unit	Quantity	
			Total	Serviceable
	Anmol 32 (7.65mm) REGD No. A-0900A. ✓	No./40	1	1

Wt. No. - 345/0
SWD No. - 80/16900/00

(Not saleable/transferable
for 5 Years from 30/03/2012)

Received Above Revolver.

[Signature]
30/03/12 ✓

Signature of Consignee/His Rep.

[Signature]
For GENERAL MANAGER
Small Arms Factory
Kanpur



SMALL ARMS FACTORY, KANPUR

0276117

U.P.T.T. No. : KR-0041206
C. S. T. No. : KR-7173

INVOICE / CHALLAN
(RULES 52 A & 178 G)

Central Excise Reg. No. AAA-G-S 000 IA - XM 001 Dt. 11.1.02

Code No.:

ORIGINAL FOR BUYER (WHITE)

Postal Address of Range & Div. Range- I, Central Excise Div.- I 117/7, Sarvodaya Nagar, Kanpur	Consignor The General Manager SMALL ARMS FACTORY Kalpi Road, Kanpur	Consignee in No. 09437801465 SRI RAMESH KUMAR YADAV S/O SRI SATYA NARAYAN YADAV HOUSE NO T IV/7, RAWATPUR OFFICER COLONY, PS : NAWABGANJ DISTT : KANPUR (UP) Pin : 208002	Invoice/Challan No. 201109309 /Dt./Time of issue 30/03/2012 09:11:06 /Dt. Time of removal Mode of Transport By Hand Regn. No. of Vehicle
---	---	---	---

Sl. No.	Description & Specification of goods	No. & Description of Packages	Total Quantity of goods (net)	Rate per unit	Total price of goods	Deduction/Add. made to arrive at value under section 4	Assessable Value/Tariff Value per unit	Total Assessable Value/Tariff Value	Rate of Duty	Total duty paid in words/ Figures
	Anmol 32 (7.65mm)	1	1	Rupees 83000.00	Rupees 83000.00		Rupees 83000.00	Rupees 83000.00	10 % B.E.D 2% Edu. Cess 1% High Edu. Cess.	Rupees 9960.00 199.00 100.00
	REGD. No. A-0900A,									

96-10-2012

Tariff Heading No. / Excmpted notification No. : 9302
Sl. No. of Debit entry in

Certified that the particulars given above are true and correct and the amount indicated represents the price actually charged and that there is no flow additional consideration directly or indirectly from the buyer.

OR

Certified that the particulars given above are true and correct and the amount indicated is provisional as additional consideration will be received from the buyer on account of.

For General Manager
SMALL ARMS FACTORY, KANPUR

(Signature of the licence or his
authorised agent)

Total Rs.	93259.00
Discounts (If any) Rs.	
C.S.T./NON VAT	19584.00
Surchage	
Fright (+/-)	112843.00
G. Total	

6/11

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request-96 (148)

To,

The District Judge,
Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

No. 9410 / IV- 2910/ Admin (A) / Dated 31-5-2011

Subject :- Application of Sri Ramesh Kumar Yadav, Civil Judge (Senior Division),
Ramabai Nagar for grant of permission to purchase a plot at Mauja Jhunsi
Kohna, Paragana Jhunsi, Tehsil Phoolpur, District Allahabad.

Sir,

With reference to your endt. no. 447/ XV dated 15.04.2011 on the above
subject, I ~~am directed~~ ^{have} to say that Sri Ramesh Kumar Yadav, Civil Judge (Senior
Division), Ramabai Nagar may kindly be asked to apply for grant of permission to
purchase the plot giving complete and pointwise (from point 1 to 11) information
about the proposed transaction in the light of directions contained in Court's C.L. no.
25/ Admin (A) dated 13.07.1998 along with all the supporting papers, as asked for
therein the Court's Circular letter, referred to above, so that further necessary action
may be taken in the matter.

D.R.(M)

May issue?

Dr. Jaiswal
23.5.11

Sumal
23-5-11
A-R

Yours faithfully

Maharandi
25.5.11

Deputy Registrar

Santlal
23-4-11
w.o. Encl

01 Page
18/4/11

Request-96
27.4.11

147

8702

प्रेषक,
रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सी०डि०),
रमाबाई नगर।
सेवा में,

Register No.	IV/2910
File No.	
Santal No.	

113
of
30/4/11

23-5-11

माननीय महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
रमाबाई नगर।

विषय: आवास हेतु भूमि क्रय किये जाने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अनुमति के सन्दर्भ में-

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मुझे आवास हेतु भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। मौजा झूंसी कोहना, परगना झूंसी तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 172 स के भूमिधरी स्वामी श्री रामदुलार शर्मा पुत्र स्व० रामानन्द शर्मा निवासी ग्राम हवेलिया परगना झूंसी जिला इलाहाबाद ने अपनी उक्त भूमिधरी का रकवा चार विस्वा, तीन लाख रुपये प्रति विस्वा के दर पर अपनी तात्कालिक आवश्यकता वश विक्रय करना चाहते हैं, जिसे मकान बनवाने हेतु मैं क्रय करना चाहता हूँ। जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति अभीष्ट है।

उल्लेखनीय है कि भूमिधर श्री रामदुलार शर्मा का कोई वाद मेरे न्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है और न ही उनका कोई वाद मेरे समक्ष विचाराधीन है। उक्त भूमि कय करने के उपरान्त विक्रय से सम्बन्धित समस्त प्रलेख मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

अतः श्री मान् जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरी आवासीय आवश्यकता पर सहानुभूमि पूर्वक विचार करते हुये मेरा आवेदन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष उपरोक्त भूमि कय करने की अनुमति हेतु विचारार्थ रखे जाने की महती कृपा करें।

सादर,

भवदीय

Ramesh Kumar Yadav
13.04.11

दिनांक:- 13.4.2011

(रमेश कुमार यादव),
सिविल जज(सी०डि०),
रमाबाई नगर।

RAMABAI NAGAR (KANPUR DEHAT) JUDGESHIP, KANPUR.

No. 447/IV

Dated. 15-4-2011.

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad for necessary action.

Ramesh Kumar

District Judge,
Ramabai Nagar.

752
19-4-11

S.O. Adm H/O

22-4-11

D.R.(M)
21-4-11

JRC(M)

w.o. Encl

21 APR 2011

AKO
23-5-11